14 -02-2023

आसियान डिजिटल मंत्रियों की तीसरी बैठक

समाचार पत्रों में क्यों?

दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन -आसियान के डिजिटल मंत्रियों की तीसरी बैठक में नई दिल्ली में भारत-आसियान डिजिटल कार्य-योजना को मंजूरी दे दी गई है। ऑनलाइन आयोजित इस बैठक का विषय था- संधारणीय डिजिटल भविष्य के साथ तादात्म्य। बैठक का उद्देश्य सूचना और संचार तकनीक के क्षेत्र में भारत और आसियान के संबंधों को मजबूत करना था।

त्वरित मुद्दा?

- संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि कार्य योजना में, साइबर सुरक्षा में यांत्रिक बुद्धिमत्ता जैसी तकनीकों के क्षेत्र में क्षमता निर्माण और ज्ञान साझेदारी को शामिल किया गया है। संचार राज्यमंत्री देवू सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की प्रगति के लिए तकनीक के क्षेत्र में नवाचारों के उपयोग पर बल दिया है।
- उन्होंने यह भी कहा कि खुशहाल भविष्य के लिए भारत सूचना और संचार तकनीक के क्षेत्र में प्रगति के लिए आसियान देशों के साथ सहयोग का इच्छुक है। श्री चौहान ने यह भी कहा कि सरकार निवेश को आकर्षित करने के लिए दूरसंचार क्षेत्र में सुधार को बढ़ावा दे रही है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- बैठक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के क्षेत्र में भारत और आसियान (Association of Southeast Asian Nations) के बीच संबंधों को मज़बूत करने पर केंद्रित थी।
- भारत ने निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने और ब्रॉडबैंड तथा दूरसंचार कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु सुधारों पर ज़ोर दिया।
- बैठक में एक समावेशी एवं न्यायसंगत समाज बनाने, सतत् विकास को बढ़ावा देने तथा डिजिटल माध्यमों से नागरिकों को सशक्त बनाने के साधन के रूप में डिजिटल परिवर्तन

के महत्त्व पर भी प्रकाश डाला गया।

- भारत-आसियान डिजिटल कार्ययोजना 2023 को मंज़ूरी दी गई, जिसमें साइबर सुरक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगली पीढ़ी के स्मार्ट शहरों में IoT एवं AI तथा डिजिटल स्वास्थ्य तथा सुरक्षा को लागू करने में ICT की भूमिका जैसे क्षेत्रों में क्षमता निर्माण और ज्ञान साझा करने की पहल शामिल है।
- भारत और आसियान के बीच संबंध दीर्घकालिक और बहुआयामी हैं जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सुरक्षा आयाम शामिल हैं।
- 1990 के दशक में भारत द्वारा 'लुक ईस्ट पॉलिसी' शुरू किये जाने के बाद से भारत-आसियान द्विपक्षीय संबंध में काफी विकास देखा गया है।
- वर्ष 2014 में मुख्य रूप से दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को विकसित करने के लिये इस पहल को 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' में बदल दिया गया था।
- भारत वर्ष 1992 में आसियान के एक क्षेत्रीय भागीदार के रूप में उभरा, जिसके बाद वे वर्ष 1996 में संवाद भागीदार और वर्ष 2002 में एक शिखर-स्तरीय भागीदार बने।
- वर्ष 2009 में आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता (ASEAN-India Trade in Goods Agreement-AITIGA) पर हस्ताक्षर किये गए जो 1 जनवरी, 2010 को लागू हुआ।
- भारत का आसियान क्षेत्र के विभिन्न देशों (सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड) के साथ एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (CECA) है, जिसके परिणामस्वरूप रियायती व्यापार एवं निवेश में वृद्धि हुई है।
- भारत ने आसियान देशों के साथ संबंधो को मज़बूत करने के लिये वर्ष 2015 में जकार्ता में आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के लिये एक अलग मिशन भी शुरू किया।
- वर्ष 2022 में आसियान और भारत के बीच संवाद संबंधों की स्थापना के 30 वर्ष की साझेदारी के उपलक्ष्य में आसियान-भारत मैत्री वर्ष मनाया गया, जिससे इनकी रणनीतिक साझेदारी को काफी बढ़ावा मिला।
- आसियान-भारत सहयोग कोष, आसियान-भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास कोष तथा आसियान-भारत ग्रीन फंड जैसे विभिन्न चैनलों के माध्यम से भारत, आसियान देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

अन्य प्रमुख तथ्य?

आसियान (ASEAN) समूह

- यह एक क्षेत्रीय समूह है जो आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है।
- इसकी स्थापना अगस्त 1967 में बैंकॉक, थाईलैंड में आसियान के संस्थापकों अर्थात् इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एवं थाईलैंड द्वारा आसियान घोषणा (बैंकॉक घोषणा) पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी।
- इसकी अध्यक्षता सदस्य राष्ट्रों द्वारा अंग्रेज़ी के वर्णानुक्रम के आधार पर वार्षिक रूप से की जाती है।

आसियान के सदस्य राष्ट्र; -

- थाईलैंड
- सिंगापुर
- वियतनाम
- लाओस
- इंडोनेशिया
- म्यांमार
- फिलीपींस
- ब्रुनेई
- मलेशिया

- भारत कई कनेक्टिविटी पहलों को लागू कर रहा है, जैसे कि भारत-म्याँमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और कलादान मल्टीमॉडल परियोजना।
- आसियान के साथ भारत एक समुद्री परिवहन समझौता स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा है और नई दिल्ली, भारत एवं हनोई, वियतनाम के बीच रेलवे कनेक्शन की योजना भी प्रस्तावित है।

ग्रेटर टिपरालैंड की मांग

समाचार पत्रों में क्यों?

त्रिपुरा में एक राजनीतिक दल, तिपरा स्वदेशी प्रगतिशील क्षेत्रीय गठबंधन (TIPRA) मोथा द्वारा ग्रेटर टिपरालैंड की मांग की जा रही है।

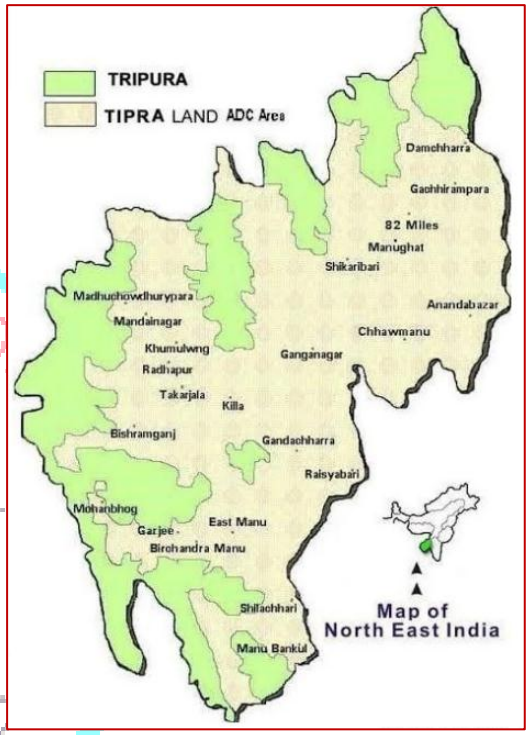

त्वरित मुद्दा?

- टिपरा मोथा नें एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया, जिसमें कहा गया कि वह भारत के संविधान के अनुसार त्रिपुरा के स्वदेशी लोगों के अधिकारों को कायम रखने के लिए एक स्थायी समाधान की मांग करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- इसका उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 के तहत त्रिपुरा की 19 स्वदेशी जनजातियों के लिए एक नया राज्य बनाना है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- ग्रेटर टिपरालैंड, टिपरा मोथा की मुख्य वैचारिक मांग है।सबसे पहले 2000 में गठित इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (IPFT) ने टिपरालैंड की मांग की थी।
- ग्रेटर टिपरालैंड, इंडिजेनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (IPFT) द्वारा त्रिपुरा के आदिवासियों के लिये एक पृथक राज्य के रूप में टिपरालैंड की माँग का ही विस्तार है।
- प्रस्तावित मॉडल की प्रमुख माँग 'त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त ज़िला परिषद' (TTAADC) के बाहर स्वदेशी क्षेत्र या गाँव में रहने वाले प्रत्येक आदिवासी व्यक्ति को शामिल करना है।
- ग्रेटर टिपरालैंड सिर्फ त्रिपुरा के आदिवासी परिषद के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है।
- यह भारत के विभिन्न राज्यों जैसे असम, मिजोरम आदि में फैले त्रिपुरी (त्रिपुरा के मूल निवासी) को भी शामिल करता है।
- त्रिपुरी (जिन्हें टिपरा, टिपरासा, ट्विप्रा के नाम से भी जाना जाता है) त्रिपुरा का मूल नृजातीय समूह है।
- इसमें बंदरबन, चटगाँव, खगराचारी और पड़ोसी बांग्लादेश के अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी शामिल हैं।
- 1941 की जनगणना के अनुसार, त्रिपुरा में आदिवासियों और गैर-आदिवासियों की जनसंख्या का अनुपात लगभग 50:50 था।

- हालांकि, अगली जनगणना के अनुसार, पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों के भारी प्रवाह के कारण जनजातीय आबादी 37% से से भी कम हो गई।
- 1950 और 1952 के बीच, लगभग 1.5 लाख शरणार्थियों ने आश्रय के लिए त्रिपुरा में प्रवेश किया था।
- शरणार्थियों की बाढ़ ने मतभेदों को जन्म दिया और अंततः आदिवासियों और गैर-आदिवासियों के बीच संघर्ष 1980 में बढ़ गया और इसने सशस्त्र विद्रोह का रूप ले लिया।
- इस समय के दौरान स्वायत्त क्षेत्रों या अलग राज्य की मांग संप्रभुता और स्वतंत्रता के रूप में बदल गई।
- त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (TTADC) के साथ होने वाला कथित भेदभाव भी ग्रेटर टिपरालैंड की मांग का एक प्रमुख कारण है।

अन्य प्रमुख तथ्य?

TTADC

- TTADC को राज्य के बजट का दो प्रतिशत प्राप्त होता है, जबकि इसमें राज्य की 40% आबादी रहती है।
- TTADC का गठन 1985 में संविधान की छठी अनुसूची के तहत किया गया था।
- इसका उद्देश्य विकास सुनिश्चित करना और जनजातीय समुदायों के अधिकारों और सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित करना है।
- इसके पास विधायी और कार्यकारी शक्तियाँ हैं और यह राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के लगभग दो-तिहाई हिस्से को कवर करता है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

समाचार पत्रों में क्यों?

जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा हाल ही में लोकसभा में पेश किए गए आंकड़ों से पता चला है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) वर्तमान में अपनी स्वीकृत शक्ति के 50% से कम के साथ काम कर रहा है।

त्वरित मुद्दा?

- आयोग के आंकड़ों के अनुसार, एसटी पैनल में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन सदस्य (वी-सी और सदस्यों में से दो एसटी समुदाय से होने चाहिए) के लिए नियम प्रदान करते हैं। वर्तमान में, इसमें सिर्फ एक अध्यक्ष (हर्ष चौहान) और एक सदस्य (अनंत नायक) हैं, अन्य सभी पदों के साथ, जिसमें अनिवार्य एसटी सदस्य भी शामिल है, जो पिछले तीन वर्षों से खाली है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- यह एक संवैधानिक निकाय है।इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन पूर्णकालिक सदस्य (एक महिला सदस्य सहित) होते हैं।

- इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- यह अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जांच और निगरानी करता है।
- अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने से संबंधित किसी भी शिकायत की जांच करना
- इसमें दीवानी अदालत की सभी शक्तियाँ निहित हैं।

अनुसूचित जातियो के लिए राष्ट्रीय आयोग

- 2003 के 89 वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इस राष्ट्रीय आयोग का दो भागों में विभाजन कर दिया गया तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत) एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बना दिये गये।
- वर्ष 2004 से पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अस्तित्व में आया।
- आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं तीन अन्य सदस्य हैं।
- वे राष्ट्रपति द्वारा उसके आदेश एवं मुहर लगे आदेश द्वारा नियुक्त किये जाते है।

- संविधान के तहत एसटी को प्राप्त सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जांच और निगरानी करना, ऐसे सुरक्षा उपायों के कामकाज का मूल्यांकन करना।
- अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग और सलाह देना।
- संघ और किसी राज्य के तहत उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।

न्यायिक समीक्षा

समाचार पत्रों में क्यों?

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत कॉलेजियम को फैसले पर पुनर्विचार के लिए नहीं कह सकते।

त्वरित मुद्दा?

- शुरुआत में पीठ ने निर्धारित किया कि कानूनी मुद्दा "भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में न्यायिक समीक्षा के दायरे और सीमा से संबंधित है।" इसके बाद, यह नोट किया गया कि यह मुद्दा तय किया गया है और यह कोई अछूता मुद्दा नहीं है। पीठ ने इस संबंध में अपनी संविधान पीठ के फैसलों का उल्लेख किया।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- न्यायिक समीक्षा विधायी अधिनियमों तथा कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जाँच करने हेतु न्यायपालिका की शक्ति है जो केंद्र एवं राज्य सरकारों पर लागू होती है।
- सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा को संविधान की मूल संरचना (इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण केस 1975) माना है।

न्यायिक समीक्षा का महत्त्व:

- यह संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिये आवश्यक है।

- विधायिका और कार्यपालिका द्वारा सत्ता के संभावित दुरुपयोग की जाँच करने के लिये आवश्यक है।
- यह लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है।
- यह संघीय संतुलन बनाए रखता है।
- यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिये आवश्यक है। -यह अधिकारियों के अत्याचार को रोकता है।

न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया का समर्थन करने संबंधी कुछ विशिष्ट प्रावधान;

1. अनुच्छेद 13
2. अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226
3. अनुच्छेद 372 (1)
4. अनुच्छेद 251 और अनुच्छेद 254
5. अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को उसके द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने हेतु एक विशेष शक्ति प्रदान करता है।सेबी के निर्णय से असंतुष्ट संस्थाओं के हितों की रक्षा के लिये एक प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण-सैट (SAT) का गठन भी किया गया है।

KAUTILYA ACADEMY INDORE